

DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 686524031221031310

Date : 03-12-2021

प्रभावी : चतुर्थ तिमाही 2020-2021

श्री/श्रीमती/सुश्री LUCY GHOSH W/O SHANKAR NATH GHOSH,

मोहल्ला WILLIAN TOWN DEOGHAR

DEOGHAR, 814112

9097185199

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0150001253000M0 वार्ड सं. 15 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	40.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		40.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION Website suda.jharkhand.gov.in पर पदर्शित है।
2. नियमावली बहिष्कृत 11 4 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति को 5% तक बढ़ा देगा। विद्यमान टी. जलनी है कि वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगरान को सूचित कर तथा अतिरिक्त कर से राहत पावे।
3. प्राकृतिक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष में लिए सम्पूर्ण भूमि कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है तो करदाता को 5% की रियाजत दी जायेगी।
5. किसी देय प्रति का निर्दिष्ट मर्यादावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है। इस स्व-निर्धारण सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय नियम करा सकती है एवं तथ्य सफल पाए जाने पर नियमवली बहिष्कृत 13 2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अन्य राशि देय होगा।
7. DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संचालित इस सम्पत्ति कर इन डेमरल/दायों को कोई कानूनी हेतियत पदान नहीं करता है और/या न ही अपने स्वतंत्रता/दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये हार्डिडग नजी का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

